Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **जालोर में स्वास्थ्य विभाग का रिटायर्ड सहायक अभियन्ता 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 फरवरी सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर एस.यू. इकाई द्वारा आज जालोर में कार्यवाही करते हुये सुनील माथुर रिटायर्ड सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर को 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर–एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वर्ष 2015 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जालोर के वर्क ऑर्डर व टेण्डर से मेरे द्वारा ग्राम पाथेडी की पीएचसी में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया था, जो कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी एनओसी मैने प्राप्त कर ली है। उक्त टेण्डर में सिक्यूरिटी डिपोजिट/एसडी के रूप में मेरे करीब 6.50 लाख रूपये विभाग में जमा है। कार्य पूर्ण होने के बाद अब मेरी उक्त एसडी राशि रिलीज करने के बदले सुनील माथुर रिटायर्ड सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर व अकाउण्टेंट कुन्दन सुथार द्वारा 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **श्री कैलाशचन्द्र बिश्नोई उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर** के सुपरविजन में ए.सी.बी. की जोधपुर–एस.यू. इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज दिनांक 07.02.2022 को मय टीम के जालोर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी सुनिल माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर निवासी 68, वैष्णव नगर बी.आर. बिडला स्कूल के पास जोधपुर, हाल सेवानिवृत सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर को स्वयं के लिए 15 हजार रूपये व 5 हजार रूपये कुन्दन सुथार पुत्र लाचीराम सुथार अकाउण्टेंट स्वास्थ्य विभाग जालोर के लिए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तथा प्रकाश संविदाकर्मी कप्यूटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर को दस्तयाब किया गया है। उक्त कार्यवाही की भनक लगने से अकाउण्टेंट कुन्दन सुथार मौके से फरार हो गया है, जिसकी दस्तयाबी के प्रयास जारी है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में फरार आरोपी की तलाश के साथ साथ आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।